लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

वित्त समिति की बैठक दिनांक 11 नवम्बर, 2021 का कार्यवृत्त।

लखनऊ विश्वविद्यालय की वित्त समिति की बैठक आज दिनांक 11 नवम्बर, 2021 को अपराहन् 4:30 बजे प्रसाशनिक भवन स्थित समिति कक्ष में आहूत की गयी।

बैठक में निम्न अधिकारीगण उपस्थित रहेः–

1.	**श्री आलोक कुमार राय**	**कुलपति**	**अध्यक्ष**
2.	श्री अशोक कुमार सिंह	संयुक्त निदेशक, पेंशन निदेशालय, प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव वित्त, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
3.	श्री सर्वेश कुमार सिंह	संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा। प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 शासन	सदस्य
4.	डा0 विनोद कुमार सिंह,	कुलसचिव	सदस्य
5.	प्रो0 ए. एम. सक्सेना	परीक्षा नियंत्रक	सदस्य
6.	श्रीमती हिमानी चौधरी	वित्त अधिकारी	सचिव सदस्य

बिन्दु संख्या–01

वित्त समिति की गत बैठक दिनांक 22 मार्च, 2021, 05 जून, 2021 एवं 21 अगस्त, 2021 की अनुपालन आख्या समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गयीं, समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–02

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ में सम्पन्न हुई भवन एवं कार्य समिति की बैठक दिनांक 08.02.2021 एवं 20.09.2021 की कार्यवृत्त वित्त समितिं के समक्ष प्रस्तुत की गयी, समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–03

लखनऊ विश्वविद्यालय के अन्तर्गत विभिन्न संकायों/संस्थानों/स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत संविदा में सृजित शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति हेतु सम्पादित की जाने वाली प्रवेश प्रकिया एवं साक्षात्कार के सम्बन्ध में तैयार आय–व्ययक समिति के समक्ष विचार –विमर्श एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया, जिसपर समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–04

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ के अन्तर्गत अभियांत्रिकीय संकाय में विभिन्न पदों पर कार्यरत संविदा शिक्षकों को सी.पी.एफ. के स्थान पर ई.पी.एफ. योजना से आच्छादित कराए जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसपर समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए लखनऊ विश्वविद्यालय में स्ववित्त

पोषित पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत संविदा पर कार्यरत समस्त शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को ई.पी.एफ. योजना से आच्छादित कराए जाने के दिशा–निर्देश प्रदान किये गये।

बिन्दु संख्या–05

ज्योर्तिविज्ञान विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ में एक परामर्श केन्द्र की स्थापना एवं परामर्श केन्द्र से अपने प्रश्नों तथा समस्याओं के निराकरण हेतु आगत आगन्तुकों से परामर्श शुल्क के रूप में प्रति व्यक्ति ली जाने वाली शुल्क रू0 500/– पर अनुमोदन प्रदान किया गया, जिसमें से परामर्श विशेषज्ञ को रू0 300/–, तथा लखनऊ विश्वविद्यालय को रू0 200/– दिये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी उक्त शुल्क ऑन–लाईन के माध्यम से लिए जाने का भी निर्णय लिया गया।

बिन्दु संख्या–06

स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत वैकल्पिक विषय के रूप में एन.सी.सी. पाठ्यक्रम में अध्ययनरत विद्यार्थियों से न्यूनतम् शुल्क रू0 3000/– प्रति सेमेस्टर प्रति विद्यार्थियों से लिए जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसपर विचार–विमर्श के उपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–07

न्यायालय के आदेश दिनांक 30.07.2021 के क्रम में शासनादेश संख्या 59/2019/1834/पन्चानबे–19–46 रिट/15 टी.सी.तृतीय दिनांक 23.09.2019 के अनुपालन में प्रतिस्थापित होमगार्डस स्वयं सेवकों का दिनांक 06 दिसम्बर, 2016 से 30 नवम्बर, 2019 तक लखनऊ विश्वविद्यालय में तैनात होमगार्ड के जवानों के एरियर बीजक की धनराशि रू0 1,13,80,814/– मात्र का भुगतान किये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया, जिस पर समिति द्वारा होमगार्ड स्वयंसेवकों के एरियर के भुगतान से सम्बन्धित निर्गत शासनादेश 35/2021/1803/पन्चानबे–2021–45 रिट/15 टी.सी. तृतीय दिनांक 13 सितम्बर, 2021 के प्रस्तर–3 एवं प्रस्तर–4 (उच्चतम् न्यायालय के आदेश) के अनुसार कार्यवाही करने एवं उस होने वाले व्यय को (बजटीय व्यवस्था) पुनर्विनियोग के माध्यम से करते हुए अगली वित्त समिति में कार्योत्तर अनुमोदन हेतु रखने पर सहमति प्रदान की गयी।

अन्य बिन्दु मा0 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

अन्य बिन्दु संख्या–1

लखनऊ विश्वविद्यालय में संचालित Institute of Renewable Energy से सम्बन्धित रू0 50,40,360/– का आय–व्ययक समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया, जिसपर समिति द्वारा विचारोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।

मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा धन्यवाद ज्ञापित करते हुए समिति की बैठक सम्पन्न हुई।

(हिमानी चौधरी)
वित्त अधिकारी

(डा0 विनोद कुमार सिंह)
कुलसचिव

(प्रो0 ए. एम. सक्सेना)
परीक्षा नियंत्रक

(सर्वेश कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा,
प्रतिनिध अपर मुख्य सचिव, उ0शि0
उ0प्र0 शासन।

(अशोक कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक, पेंशन निदेशालय,
प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव (वित्त),
उ0प्र0 शासन।

(प्रो0 आलोक कुमार राय)
कुलपति